सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
श्रावण 16, गुरूवार, *शाके* 1947- अगस्त 07, 2025 *Sravana 16, Thursday, Saka 1947- August 07, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-12) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 06, 2025

संख्या प.9(7)गृह-12/कारा/2025 :-यत् भारत में अवैध रूप से प्रवास/निवास कर रहे विदेशी नागरिकों को निरूद्व किये जाने हेतु विदेशी अधिनियम, 1946 (केन्द्रीय अधिनियम, 1946 का 31) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (ई) के अधीन अस्थाई रूप से निम्नलिखित को समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.05.2025 एवं 08.05.2025 द्वारा डिटेन्शन सेंटर घोषित किया गया था। उन अधिसूचना को विखण्ड़ित करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा कारागार अधिनियम, 1894 (केन्द्रीय अधिनियम, 1894 का 9) की धारा 3 की उप-धारा (1) एवं राजस्थान कारागार नियम, 2022 के नियम 3 के खण्ड (जेड ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त स्थानों को स्थाई रूप से कारागृह घोषित करती हैः-

क्र.स.	स्थान	जिला
1.	उप कारागृह, बहरोड़	कोटपुतली-बहरोड़
2.	उप कारागृह, मेड़ता सिटी	नागोर
3.	उप कारागृह, झाडोल	उदयपुर
4.	महिला बंदी सुधार गृह	कोटा

राज्यपाल की आज्ञा से,

अनुराधा गोगिया,

संयुक्त शासन सचिव।

8200

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।